संख्या- 6-81 /96-आयुष-2-2020-127/2016

प्रेषक,

राज कमल यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 04 दिसम्बर, 2020

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा संचालित आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र (हेल्थ वेलनेस सेन्टर) के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-706/306/मि0नि0/2020-21, दिनांक 24 नवम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा संचालित आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र (हेल्थ वेलनेस सेन्टर) के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-आ0मि0-119/96-आयुष-2-2020-127/2016, दिनांक 19.10.2020 के अनुक्रम में हेल्थ वेलनेस सेन्टर में योगिक क्रियाओं के संचालन हेतु योग प्रशिक्षक एवं योग प्रशिक्षक (महिला) की चयन प्रक्रिया/योग्यता के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था स्थापित की जाती है:-

क्र0सं0	विषय	निर्धारित व्यवस्था
1.	**उम्र की क्या सीमा है ?**	योग प्रशिक्षक (अंशकालीन) हेतु न्यूनतम 21 वर्ष से अधिक किसी भी उम्र का हो सकता है। स्वस्थ एवं 65 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
2.	योग्यता **एवं अनुभव क्या** हो?	(1) योग प्रशिक्षक (अंशकालीन):- (ए) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से साढ़े पाँच वर्षीय कोर्स बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिक सांइस(बी0एन0वाई0एस0) डिग्री धारक। अथवा (बी) 1. बी0ए0(योग) तीन वर्षीय डिग्री धारक/बी0एस0सी0 (योग) तीन वर्षीय डिग्री धारक/एम0एस0सी0 (योग)/एम0ए0 (योग) डिग्री धारक। 2. अनुभव--एक वर्ष। अथवा (सी)1.पी0जी0 डिप्लोमा (न्यूनतम एक वर्षीय पाठ्यक्रम)डिप्लोमा धारक। 2. अनुभव--दो वर्ष।

		अथवा (डी)1. योग सर्टिफिकेशन बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा "योग वेलनेस इन्स्ट्रक्टर" प्रमाणपत्र धारक। 2. अनुभव– एक वर्ष। नोटः–1–हेल्थ वेलनेस सेण्टर में योग प्रशिक्षक पद हेतु स्थानीय निवासी को वरीयता दी जायेगी। 2– कार्य का अनुभव प्रमाणपत्रनिर्धारित डिग्री/पी0जी0 डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के उत्तीर्ण/प्राप्त करने के उपरान्त का ही मान्य होगा।
3.	नियुक्ति की अवधि	01 वर्ष के लिए है यह योजना आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। अतः अवधि का निर्धारण आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
4.	**चयन की प्रक्रिया**	1– यह नियुक्तियाँ न तो किसी सृजित पद के विरूद्ध होनी है और न ही यह नियमित तैनाती है। 2– हेल्थ वेलनेस सेण्टर हेतु योग प्रशिक्षक एवं एक योग प्रशिक्षक (महिला) अंशकालीन के आबद्धीकरण एवं क्रियाशील किये जाने की व्यवस्था निम्नवत् गठित समिति द्वारा की जायेगी :– (1) मुख्य विकास अधिकारी – अध्यक्ष (2) क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी – सदस्य सचिव (3) जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी – सदस्य (4) योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ (स्थानीय) – सदस्य 3– योग प्रशिक्षक (अंशकालीन) के आबद्धीकरण हेतु विज्ञापन कम से कम दो स्थानीय प्रतिष्ठित प्रादेशिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जायें एवं जिलाधिकारी, जिला पंचायत, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, जनपद में स्थित आयुष महाविद्यालय तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किये जायें। 4– जनपद में चयनित प्रति हेल्थ वेलनेस सेण्टर हेतु एक योग प्रशिक्षक एवं एक योग प्रशिक्षक (महिला) अंशकालीन का आबद्धीकरण उक्त समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।
5	**क्या इन्हें जेम पोर्टल/आउट सोर्स से लिया जायेगा?**	नही। चूँकि एकमुश्त मानदेय पर कार्य लिया जाना हैएवं जेम पोर्टल/आउट सोर्स एजेन्सी के स्तर से कटौती आदि होती है अतः क्षेत्रीय आयुर्वेदिकएवं यूनानी अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु सं0–4 के अनुसार गठित समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी अनुबन्ध कर नियत मानदेय पर रखे जायेगें।
6.	कार्यकाल	योग प्रशिक्षक (अंशकालीन) राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा स्वीकृत एक वर्ष के लिए अनुबन्धित किये जायेगें। राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा योजना के निरन्तरता के अनुमोदनोपरान्त एक वर्ष के बाद दूसरे अनुबन्ध के मध्य न्यूनतम 15 दिन का अन्तराल अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।

		संबंधित योग प्रशिक्षक के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि तक ही अनुबन्ध किया जा सकेगा। 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कार्यकाल स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
7.	मानदेय	प्रत्येक हेल्थ वेलनेस सेण्टर में योगिक क्रियाओं के संचालन हेतु योग प्रशिक्षक एवं एक योग प्रशिक्षक (महिला) अंशकालीन के पारिश्रमिक हेतु क्रमशः धनराशि रू0–0.96 लाख एवं रू0–0.60 लाख प्रति वर्ष की आवर्ती सहायता दी जायेगी। अर्थात योग प्रशिक्षक (अंशकालीन) को रू0–8000.00 (रूपया आठ हजार मात्र) एवं एक योग प्रशिक्षक (महिला) (अंशकालीन) को रू0–5000.00 (रूपया पाँच हजार मात्र) मानदेय प्रतिमाह नियत है।
8.	कार्य	1– हेल्थ वेलनेस सेण्टर में योग प्रशिक्षक को प्रतिमाह एच0डब्लू0सी0, स्कूलों व सामुदायिक स्तरों पर प्रति सत्र कम से कम 01 घण्टे वाले न्यूनतम 32 योग सत्र आयोजित करने होगें तथा योग प्रशिक्षक (महिला) को महिला समूह के लिये प्रति सत्र न्यूनतम 01 घण्टे के साथ 20 योग कक्षायें आयोजित करनी होगीं। 2– राष्ट्रीय आयुष मिशन, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार अन्य कार्य।
9.	**आरक्षण**	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग को शासन द्वारा निर्गत समय–समय पर शासनादेशों के अनुसार योग प्रशिक्षक के आबद्धीकरण में आरक्षण का अनुपालन किया जायेगा, परन्तु प्रार्थनापत्र न मिलने की दशा में उपलब्ध उपयुक्त अभ्यर्थियों का आबद्धीकरण किया जायेगा।

3- योग प्रशिक्षक (अंशकालीन) की सेवाएं संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगीं।

4- योग प्रशिक्षक (अंशकालीन) द्वारा चयनित होने के उपरान्त 15 दिन के अन्तर्गत आबद्धीकृत हेल्थ वेलनेस सेण्टर पर अनुबन्ध करते हुये कार्यभार ग्रहण करेगें। उक्त कालावधि में कार्य आरम्भ नहीं करने पर आबद्धीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5- सम्बन्धित योग प्रशिक्षक (अंशकालीन) का चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में अनुबन्ध प्राधिकारी द्वारा आबद्धीकरण बिना किसी कारण बताये तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।

6- यदि योग प्रशिक्षक (अंशकालीन) बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना सूचना के अपने कर्तव्य से एक सप्ताह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है, तो उसका आबद्धीकरण अनुपस्थिति की तिथि से रद्द कर दिया जायेगा।

कृपया हेल्थ वेलनेस सेन्टर के कार्यान्वयन हेतु उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राज कमल यादव)
विशेष सचिव।

Indra Mai

संख्या- ω-81 (1)/96-आयुष-2-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जिलाधिकारी।
2. सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सम्बन्धित जिलों के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यक्रम प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कमल यादव)
विशेष सचिव।